

संख्या-801/एक-10-2024-33(6)/2020

प्रेषक,

राम केवल,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
कानपुर नगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2024

**विषय:-** कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-177/सी०आर०ए०(द०आ०)/कोविड-19/2024-24, दिनांक 01.04.2024 एवं पत्र संख्या-195/जि०आ०प्र०प्रा०-का०न०/2024-25 दिनांक 19.04.2024 तथा पत्र संख्या-196/सी०आर०ए०(द०आ०)/कोविड-19/2024-24, दिनांक 24.04.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव कार्य में कार्यरत स्व० शैलेन्द्र कुमार, राजस्व निरीक्षक, जोनल कार्यालय, जोन-2, नगर निगम कानपुर नगर की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू० 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में योजित रिट याचिका संख्या-(सी) 9446/2024 (श्रीमती ममता कश्यप बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य) जनपद-कानपुर नगर में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:-

1. This petition has been filed seeking payment of ex-gratia compensation of Rs. 50.00 Lacs an account of death of the petitioner's husband due to covid-19 The husband of the petitioner was serving as revenue Inspector in the Nagar Nigum.
2. Learned Standing Counsel. on the Basis of the instructions has stated that the matter has been referred to the state for release of funds He also states that he has been informed by the special Secretary. Nagar vikas that the matter is being processed and the orders in this regard are required to be passed by a Committee of which the Special Secretary is also a member and that requisite orders shall be passed by the Committee of within the next few days. Thereafter once the same is approved by the Chief Minister the payment shall be released He. therefore prays for a short adjournment so that requisite proceedings can be concluded.
3. Accordingly, list this petition after two weeks.
4. Learned Standing Counsel to intimate the Court about the outcome of the proceedings which are under process for the relief claimed by the petitioner.

3- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त निर्णय के अनुपालन में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्व0 शैलेन्द्र कुमार, राजस्व निरीक्षक, जोनल कार्यालय, जोन-2, नगर निगम कानपुर नगर की कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव कार्य में कार्यरत कार्मिक की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू० 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि प्रदान किये जाने के लिए शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-04(जी)/2015-टी0सी0, दिनांक 22.06.2021 में दी गयी व्यवस्था तथा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय के क्रम में वित्तीय वर्ष-2024-25 में रू० 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, कानपुर नगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015 टी.सी. दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-4(जी)/2015 टी0सी0 दिनांक 22 जून, 2021 एवं राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दिनांक 26.07.2021 में निहित प्राविधानों/शर्तों के आलोक में जिलाधिकारी प्रत्येक प्रकरण का स्वयं सम्यक परीक्षण कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक की इयूटी कोविड-19 की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में लगायी गयी थी एवं कोविड के संक्रमण से ही उसकी मृत्यु हुयी है। जिलाधिकारी पूर्ण संतुष्ट होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक के आश्रितों को अहेतुक सहायता धनराशि की स्वीकृति करेंगे।
- (3) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 ( उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (5) स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम केवल)


विशेष सचिव।

**संख्या-801(1)/एक-10-2024 तददिनांक**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई- बजट), राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन ।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 7- सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी ।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से



(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

✓

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2024-2025  
आवंटन दिनांक-18/06/2024

प्रेषण संख्या:- 801  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-801  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय  
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 20700000	5000000 20700000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5000000 20700000	5000000 20700000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास लाख  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ सात लाख

(रजनी कान्त वर्मा)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
( रजनी कान्त वर्मा )  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
राहत आयुक्त कार्यालय  
उत्तर प्रदेश